

## 2019 का विधेयक संख्यांक 27

[दि एप्रोप्रिएशन (वोट आन अकाउन्ट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

# विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 के एक भाग की सेवाओं के लिए  
भारत की संचित निधि में से कतिपय  
राशियां निकाले जाने का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ इकतालीस खरब, बहत्तर अरब, पचानवे करोड़, अड़तीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिए जाने होंगे, निकाली जा सकेंगी ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की संचित निधि में से 341,72,95,38, 00,000 रुपए का निकाला जाना ।

3. इस अधिनियम द्वारा संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

विनियोग ।

4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश, 17 सितंबर, 2018 के ठीक पूर्व यथा विद्यमान ऐसे मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख को या उसके पश्चात् उनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे, समय-समय पर, यथा गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश हैं ।

अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन ।

**अनुसूची**  
(धारा 2, धारा 3 और धारा 4 देखिए)

1 अनुदान का संख्यांक	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
		₹0	₹0	₹0	
1	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	राजस्व	4,31,83,50,00,000	...	4,31,83,50,00,000
		पूंजी	11,57,00,000	...	11,57,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	26,92,92,00,000	...	26,92,92,00,000
		पूंजी	...	...	...
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व	11,55,46,00,000	...	11,55,46,00,000
		पूंजी	14,67,00,000	...	14,67,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व	50,79,56,00,000	33,00,000	50,79,89,00,000
		पूंजी	33,20,68,00,000	7,78,00,000	33,28,46,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय	राजस्व	7,48,52,00,000	...	7,48,52,00,000
		पूंजी	7,00,000	...	7,00,000
6	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व	1,32,33,00,000	...	1,32,33,00,000
		पूंजी	...	...	...
7	उर्वरक विभाग	राजस्व	3,54,43,40,00,000	...	3,54,43,40,00,000
		पूंजी	2,00,000	...	2,00,000
8	भेषजीय विभाग	राजस्व	78,48,00,000	...	78,48,00,000
		पूंजी	2,00,000	...	2,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व	15,85,88,00,000	...	15,85,88,00,000
		पूंजी	8,34,00,000	...	8,34,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व	2,74,02,00,000	...	2,74,02,00,000
		पूंजी	...	...	...
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व	24,09,88,00,000	...	24,09,88,00,000
		पूंजी	3,91,67,00,000	...	3,91,67,00,000

1	2		3		
			₹0	₹0	₹0
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	29,62,80,00,000	...	29,62,80,00,000
		पूँजी	5,57,64,00,000	...	5,57,64,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व	97,86,22,00,000	27,00,000	97,86,49,00,000
		पूँजी	3,15,91,00,000	...	3,15,91,00,000
14	दूरसंचार विभाग	राजस्व	1,02,31,21,00,000	...	1,02,31,21,00,000
		पूँजी	32,39,91,00,000	...	32,39,91,00,000
15	उपभोक्ता कार्य विभाग	राजस्व	7,49,44,00,000	...	7,49,44,00,000
		पूँजी	27,83,00,000	...	27,83,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व	10,66,82,64,00,000	...	10,66,82,64,00,000
		पूँजी	1,71,08,71,00,000	...	1,71,08,71,00,000
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,75,88,00,000	...	1,75,88,00,000
		पूँजी	17,00,00,000	...	17,00,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व	9,98,52,00,000	...	9,98,52,00,000
		पूँजी	56,01,00,000	...	56,01,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व	1,38,30,86,00,000	25,00,000	1,38,31,11,00,000
		पूँजी	29,00,59,00,000	11,67,00,000	29,12,26,00,000
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	8,21,00,02,00,000	33,37,00,000	8,21,33,39,00,000
		पूँजी	...	...	...
21	रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	राजस्व	5,93,66,65,00,000	27,78,00,000	5,93,94,43,00,000
		पूँजी	...	...	...
22	रक्षा पेंशन	राजस्व	3,73,59,04,00,000	82,00,000	3,73,59,86,00,000
		पूँजी	...	...	...
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	7,92,19,00,000	...	7,92,19,00,000
		पूँजी	2,44,70,00,000	...	2,44,70,00,000
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	86,55,57,00,000	...	86,55,57,00,000
		पूँजी	...	...	...
25	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	5,96,02,00,000	...	5,96,02,00,000
		पूँजी	39,33,00,000	...	39,33,00,000
26	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	20,24,00,00,000	...	20,24,00,00,000
		पूँजी	1,16,00,00,000	...	1,16,00,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	10,73,07,00,000	...	10,73,07,00,000
		पूँजी	21,51,00,000	...	21,51,00,000

1	2		3		
			₹0	₹0	₹0
28	विदेश मंत्रालय	राजस्व	62,80,48,00,000	1,00,000	62,80,49,00,000
		पूंजी	7,19,89,00,000	...	7,19,89,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	10,85,49,00,000	...	10,85,49,00,000
		पूंजी	57,36,71,00,000	...	57,36,71,00,000
30	व्यय विभाग	राजस्व	1,33,52,00,000	...	1,33,52,00,000
		पूंजी	...	...	...
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	4,90,61,00,000	...	4,90,61,00,000
		पूंजी	19,56,12,00,000	...	19,56,12,00,000
32	विनिधान और लोक आस्ति प्रबंध विभाग	राजस्व	15,69,00,000	...	15,69,00,000
		पूंजी	...	...	...
33	राजस्व विभाग	राजस्व	6,79,50,54,00,000	1,00,000	6,79,50,55,00,000
		पूंजी	2,91,00,000	...	2,91,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	23,45,48,00,000	...	23,45,48,00,000
		पूंजी	1,00,67,00,000	...	1,00,67,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	24,97,72,00,000	17,00,000	24,97,89,00,000
		पूंजी	1,35,62,00,000	...	1,35,62,00,000
36	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	18,35,54,00,000	65,51,00,000	19,01,05,00,000
		पूंजी	5,33,00,000	...	5,33,00,000
	<b>भारित--ब्याज अदायगियां</b>	राजस्व	...	22,56,86,97,00,000	22,56,86,97,00,000
		पूंजी	...	...	...
	<b>भारित--ऋण का प्रतिसंदाय</b>	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	...	1,99,43,95,70,00,000	1,99,43,95,70,00,000
39	पेंशन	राजस्व	1,91,26,97,00,000	1,48,03,00,000	1,92,75,00,00,000
		पूंजी	...	...	...
40	राज्यों को अंतरण	राजस्व	1,19,37,78,00,000	5,50,19,89,00,000	6,69,57,67,00,000
		पूंजी	...	66,07,76,00,000	66,07,76,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	3,98,87,00,000	...	3,98,87,00,000
		पूंजी	...	...	...
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	3,08,37,89,00,000	...	3,08,37,89,00,000
		पूंजी	12,41,29,00,000	...	12,41,29,00,000

1	2		3		
			₹0	₹0	₹0
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	11,24,88,00,000	...	11,24,88,00,000
		पूंजी	...	...	...
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	4,19,94,00,000	...	4,19,94,00,000
		पूंजी	1,48,52,00,000	...	1,48,52,00,000
45	लोक उद्यम विभाग	राजस्व	7,55,00,000	...	7,55,00,000
		पूंजी	...	...	0,00,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	15,53,69,00,000	1,00,000	15,53,70,00,000
		पूंजी	93,59,00,000	...	93,59,00,000
47	मंत्रिमंडल	राजस्व	2,76,28,00,000	...	2,76,28,00,000
		पूंजी	...	...	...
48.	पुलिस	राजस्व	3,94,23,49,00,000	2,41,00,000	3,94,25,90,00,000
		पूंजी	52,57,02,00,000	2,11,00,000	52,59,13,00,000
49	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	14,95,33,00,000	...	14,95,33,00,000
		पूंजी	2,00,53,00,000	...	2,00,53,00,000
50	चंडीगढ़	राजस्व	14,36,49,00,000	14,00,00,000	14,50,49,00,000
		पूंजी	1,25,54,00,000	8,33,00,000	1,33,87,00,000
51	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	2,89,27,00,000	...	2,89,27,00,000
		पूंजी	1,05,69,00,000	...	1,05,69,00,000
52	दमण और दीव	राजस्व	5,25,33,00,000	1,00,000	5,25,34,00,000
		पूंजी	1,14,16,00,000	...	1,14,16,00,000
53	लक्षद्वीप	राजस्व	3,72,37,00,000	...	3,72,37,00,000
		पूंजी	62,13,00,000	...	62,13,00,000
54	दिल्ली को अंतरण	राजस्व	2,70,67,00,000	...	2,70,67,00,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	...	1,00,00,00,000
55	पुडुचेरी को अंतरण	राजस्व	5,15,00,00,000	...	5,15,00,00,000
		पूंजी	...	...	...
56	आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	राजस्व	1,23,04,80,00,000	30,60,00,000	1,23,35,40,00,000
		पूंजी	65,70,21,00,000	23,97,00,000	65,94,18,00,000

1	2	3	₹0	₹0	₹0
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व पूंजी	3,24,78,59,00,000 ...	...	3,24,78,59,00,000 ...
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व पूंजी	1,56,42,28,00,000 8,06,67,00,000	...	1,56,42,28,00,000 8,06,67,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व पूंजी	14,55,22,00,000 4,51,00,000	...	14,55,22,00,000 4,51,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व पूंजी	34,67,91,00,000 10,09,00,000	...	34,67,91,00,000 10,09,00,000
61	विधि और न्याय	राजस्व पूंजी	14,17,81,00,000 45,00,00,000	...	14,17,81,00,000 45,00,00,000
62	निर्वाचन आयोग	राजस्व पूंजी	95,32,00,000 19,45,00,000	...	95,32,00,000 19,45,00,000
	<b>भारित--भारत का</b>	राजस्व	...	93,15,00,000	93,15,00,000
	उच्चतम न्यायालय	पूंजी	...	...	...
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व पूंजी	21,69,72,00,000 9,01,00,000	...	21,69,72,00,000 9,01,00,000
65	खान मंत्रालय	राजस्व पूंजी	5,13,46,00,000 35,86,00,000	...	5,13,46,00,000 35,86,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व पूंजी	15,46,66,00,000 20,00,00,000	...	15,46,66,00,000 20,00,00,000
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व पूंजी	17,76,61,00,000 15,00,00,000	...	17,76,61,00,000 15,00,00,000
68	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व पूंजी	2,90,46,00,000 ...	...	2,90,46,00,000 ...
69	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व पूंजी	6,46,00,000 ...	...	6,46,00,000 ...
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व पूंजी	5,05,32,00,000 46,96,00,000	1,26,00,000 17,00,000	5,06,58,00,000 47,13,00,000
	<b>भारित--केन्द्रीय सतर्कता</b>	राजस्व	...	11,85,00,000	11,85,00,000
	आयोग	पूंजी	...	...	...
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व पूंजी	3,11,00,75,00,000 5,41,75,00,000	...	3,11,00,75,00,000 5,41,75,00,000
73	योजना मंत्रालय	राजस्व पूंजी	2,03,94,00,000 23,00,000	...	2,03,94,00,000 23,00,000

1	2		3		
			₹0	₹0	₹0
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	75,64,39,00,000	...	75,64,39,00,000
		पूंजी	14,29,06,00,000	...	14,29,06,00,000
	भारित--राष्ट्रपति के	राजस्व	...	21,26,00,000	21,26,00,000
	कर्मचारिवृंद, गृह और भत्ते	पूंजी	...	...	...
76	लोक सभा	राजस्व	3,20,61,00,000	43,00,000	3,21,04,00,000
		पूंजी	...	...	...
77	राज्य सभा	राजस्व	1,33,17,00,000	51,00,000	1,33,68,00,000
		पूंजी	...	...	...
78	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	2,33,00,000	...	2,33,00,000
		पूंजी	...	...	...
	भारित--संघ लोक सेवा	राजस्व	...	99,48,00,000	99,48,00,000
	आयोग	पूंजी	...	...	...
80	रेल मंत्रालय	राजस्व	9,20,40,83,00,000	1,54,43,00,000	9,21,95,26,00,000
		पूंजी	7,62,00,77,00,000	12,10,00,000	7,62,12,87,00,000
81	सड़क परिवहन और	राजस्व	84,50,21,00,000	...	84,50,21,00,000
	राजमार्ग मंत्रालय	पूंजी	5,55,85,67,00,000	4,45,00,000	5,55,90,12,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	7,72,56,78,00,000	...	7,72,56,78,00,000
		पूंजी	33,33,00,000	...	33,33,00,000
83	भू-संसाधन विभाग	राजस्व	7,42,41,00,000	...	7,42,41,00,000
		पूंजी	...	...	...
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	राजस्व	17,50,36,00,000	1,00,000	17,50,37,00,000
	विभाग	पूंजी	30,00,00,000	...	30,00,00,000
85	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	8,60,11,00,000	...	8,60,11,00,000
		...	...	...	...
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक	राजस्व	16,28,75,00,000	...	16,28,75,00,000
	अनुसंधान विभाग	पूंजी	3,22,00,000	...	3,22,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	7,38,66,00,000	...	7,38,66,00,000
		पूंजी	1,75,52,00,000	...	1,75,52,00,000



## **उद्देश्यों और कारणों का कथन**

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 116 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है। यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के एक भाग के लिए संचित निधि पर भारित व्यय और केंद्रीय सरकार के प्राक्कलित व्यय की बाबत लोक सभा द्वारा अग्रिम रूप से किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक है।

**पीयूष गोयल**